FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मोटाराम बनाम मोटाराम वगैरह

किस्म मुकदमा दा० आदेश 111, 128 RLRAct नं. 289/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हनीफ खाँ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइंदा दिनांक 26/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। मुकदमा अनुसार पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। लिहाजा इंतजार होकर दिनांक 05/02/2020 को पेश हो।	
05/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 25/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:10:10 IST
Reason: SelfAttested

25/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सलंग्न आये हुए है। खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी के सेमों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। फसल होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में जबरदस्ती काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेमों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेमों का सही ज्ञान करने के लिए पैमायशी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमायशी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमायशी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमायशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमायशी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करायें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:10:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 224 दिनांकः–

राजस्व आवेदन संख्या – 289 / 19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री मोटाराम पुत्र मानाराम जाति–जाट, निवासी–आहोणियों बेनिवालों की ढाणी, माधासर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री मोटाराम पुत्र नारणाराम वगैरा 9 जातियान्–जाट, निवासीयान– आहोणियों बेनिवालों की ढाणी, माधासर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा आहोणियों बेनिवालों की ढाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 858 / 305, 862 / 300, 304 रकबा क्रमशः 34.11, 07.00, 01.04 बीघा कुल रकबा 42.15 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–

क्रमांक / वाद / 2019 / 225–29

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोटाराम पुत्र मानाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री मोटाराम पुत्र नारणाराम वगैरा 9।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

25.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:10:10IST
Reason: SelfAttested